

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 485 / 11-सी-FP/UP/Pipeline/143184/2021, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 24, 2023
सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय:- जनपद-हरदोई के अंतर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा घंटाघर मार्ग, लखनऊ मार्ग एवं साण्डी मार्ग किमी० (चैनेज-0.00 से 2.50 एवं 2.0 किमी०) दांयी पटरी पर (कुल-4.50 किमी०) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.2475 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- उ०प्र० शासन का पत्रांक-363/81-2-2022-800(361)/2022, दिनांक 12.01.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्रांक-496/14-10-4, दिनांक 03.08.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के उपरोक्त पत्रांक-496/14-10-4, दिनांक 03.08.2023 द्वारा इस कार्यालय को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18
(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 485 / 11-सी-FP/UP/Pipeline/143184/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, हरदोई।
3. प्रबन्धक-परियोजना, एस०ए० 72/79, पहली मंजिल, डी०डी० पुरम, बरेली।

18
(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक:-

सेवा में,

/14-10-4, लखनऊ, दिनांक 03 अगस्त, 2023

विषय:-

मुख्य वन संरक्षक एवं मौखल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

सन्दर्भ:-

जनपद-हरदोई के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा भंडापर मार्ग लखनऊ मार्ग पूर्व यापकी मार्ग कि०मी० (मैनेज सं०-0.00 से 2.50 एवं 2.0 कि०मी०) वाली पट्टी पर (कुल 4.50 कि०मी०) की दूरी में गैस पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित 0.2475 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पतन के गैर वाणिज्यी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संलग्न, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्रमांक-2-क कागजात पत्रांक-पी-363/81-2-2022-800 (361)/2022 दिनांक-12.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि उक्त मामले में सौदाबद्ध स्वीकृति की शर्तों अनुपालन आख्या/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, हरदोई ने अपने पत्रांक-271/14-1 दिनांक-24.07.2023 के द्वारा निम्न प्रकार से उपलब्ध कराया गया है:-

Sl.No	Conditions (शर्तें)	Reply (प्राप्ति)
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा वन भूमि की कानूनी स्थिति में कोई परिवर्तन न किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है। (संलग्न बिन्दु सं०-1)
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि समस्त धनराशि ई-बालान के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा कर दिया गया है। (संलग्न बिन्दु सं०-2,)
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिलाधिकारी हरदोई द्वारा जारी वन अधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्न बिन्दु सं०-3)
4	User Agency shall obtain Environment clearance as per the provision of the Environmental (Protection) Act 1986 if applicable.	शर्त सं० 04 के आलोक में प्रभागीय निदेशक की आख्या के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा अर्जित कराया गया है कि प्रसंगत परियोजना के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
5	The Lay out Plan of the proposed shall not be changed without prior approval of Central Government	शर्त सं० 05 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है कि प्रसंगत परियोजना में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले-आउट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। (संलग्न बिन्दु सं०-5)
6	No Labour camps shall be established on the forest land.	शर्त सं० 06 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत की गयी है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा। (संलग्न बिन्दु सं०-6)
7	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by user agency to the labourer after purchasing the same from the state Forest department or the forest development corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त सं० 07 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत की गयी है कि उ०प्र० वन निगम विशिष्ट श्रोत से श्रमिकों के उपयोग हेतु जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन का कय कर उपलब्ध कराया जायेगा। (संलग्न बिन्दु सं०-7)
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वाणिज्यी प्रयोग करने की अवधि लीज अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी (संलग्न बिन्दु सं०-8)

	The forest land proposed to be diverted shall number no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	शर्त सं० 09 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत की गयी कि परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा (संलग्नक बिन्दु सं०-9)
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.NO.11-12/2017-FC dt 29.01.2018	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा परियोजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक बिन्दु सं०-10)
11	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वनों और वन्य जीवों के संरक्षण और विकास के लिए समय-समय पर अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक बिन्दु सं०-11)
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त सं० 12 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक बिन्दु सं०-12)
13	गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़को/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे किनारे ही बिछाये जायेंगे।	शर्त सं० 13 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि गैस पाइप लाइन वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे किनारे बिछाये जायेंगे। (संलग्नक बिन्दु सं०-13)
14	गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे गये ट्रेंच की गहराई 2.00 मी० तथा चौड़ाई 1.00 मी० से अधिक नहीं होगी।	शर्त सं० 14 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे गये ट्रेंच की गहराई 2.00 मी० तथा चौड़ाई 1.00 मी० से अधिक नहीं होगी। (संलग्नक बिन्दु सं०-14)
15	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त सं० 15 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि गैस पाइप लाइन हेतु खोदे गये ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट जायेगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो। (संलग्नक बिन्दु सं०-15)
16	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त सं० 16 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक बिन्दु सं०-16)
17	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त सं० 17 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी। (संलग्नक बिन्दु सं०-17)
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी।	शर्त सं० 18 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग अनुमति ली जायेगी। (संलग्नक बिन्दु सं०-18)
19	भूमि का सरफेस राइट (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।	शर्त सं० 19 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि भूमि का सरफेस राइट (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा। (संलग्नक बिन्दु सं०-19)
20	कार्यदायी सस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि०मी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	शर्त सं० 20 के आलोक में प्रभागीय निदेशक, की आख्या के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा अवगत कराया गया है कि 3090 शासन की पत्र सं० जी०आई०

21 प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा सम्बन्धित क्षेत्र/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	196/14-2-2010-1017/10 दिनांक-02.07.2010 के अनुपालन में नयायू वन प्रमाण को 20 कि०मी० की दूरी में तीन लाइनों में वृक्षारोपण हेतु अनशेषित रु० 15730000.00 उपलब्ध कराया गया है। (संलग्नक बिन्दु सं०-20)
22 प्रयोज्य इजेंसी के मातृ व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे जहाँ करने का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त सं० 21 के आलोक में प्रभागीय निदेशक की आख्या के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना में भू-स्वामित्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। जो मूल प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 43-44 पर संलग्न है। (संलग्नक बिन्दु सं०-21)
23 भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007 एफ०सी० (पी०टी०) दिनांक-19.08.2010 तथा पत्र सं० 11013/41/2006-IA-II(1) दिनांक-02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने यदि लागू है (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टडींग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग अलग प्राप्त कर लिया है।	शर्त सं० 23 के आलोक में प्रभागीय निदेशक की आख्या के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना में वांछित प्रमाण पत्र लागू नहीं है। (संलग्नक बिन्दु सं० 23)
24 प्रस्तावक एवं उन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98 एफ०सी० दिनांक-08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये भू-सन्दर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें उन सीमाओं को विशय डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	शर्त सं० 24 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98 एफ०सी० दिनांक-08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-सन्दर्भित डिजिटल डाटा फाइल में दर्शाया गया है। जो कि प्रस्ताव में संलग्न है। (संलग्नक बिन्दु सं०-24)
25 प्रयोज्य अभिकरण द्वारा भूक डिस्पोजल योजना प्रभागीय स्तर/अधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोज्य अभिकरण इसके लिए अनशेषित उपलब्ध करायेगा।	शर्त सं० 25 के आलोक में प्रभागीय निदेशक की आख्या के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना में अपशिष्ट उपलब्ध नहीं है। जिस कारण भूक डिस्पोजल प्रमाण पत्र वांछित नहीं है। (संलग्नक बिन्दु सं० 25)
26 नाटक अधिकारी उ०२० द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के कार्य अनुमति की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेगा।	शर्त सं० 26 इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
27 प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के पल्लोस (वनस्पति)/फाया के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।	शर्त सं० 27 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि परियोजना स्थल के आस-पास के पल्लोस (वनस्पति)/फाया के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय किये जायेंगे। (संलग्नक बिन्दु सं०-27)
28 प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1900 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	शर्त सं० 28 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। (संलग्नक बिन्दु सं०-28)

29	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	शर्त सं0 29 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि उक्त के आलोक में समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी। (संलग्नक विन्दु सं0-29)
30	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-666 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5रु/2007-एफ0सी0 दिनोंक-05.02.2009 के कम में भारत सरकार के पत्र दिनोंक-06.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and planning Authority) में वन विभाग से जमा की जायेगी।	शर्त सं0 30 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रमाणित वन भूमि 0.2475 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू0 237051.00 ई-चालान के माध्यम से कोमा फण्ड में जमा कर दिया गया है। (संलग्नक विन्दु सं0-30)
31	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की विन्दुवार अनुपालन आख्या में डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त सं0 31 के आलोक में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 वचनबद्धता प्रमाण-पत्र दी गयी है कि प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने के प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक विन्दु सं0-31)
32	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी विन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	शर्त सं0 32 के आलोक में प्रभागीय निदेशक, द्वारा अवगत कराया गया है कि किसी विन्दु पर कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
a	C.A amount as per proposal	0.00
b	C.A amount deposited	0.00
c	Difference in amount	0.00
d	Reason for difference	237051.00
E	NPV amount as per proposal	237051.00
f	NPV amount deposited	0.00
g	Difference in amount	0.00
h	Reason for difference	0.00
i	Any other amount deposited (Complete details be provided)	0.00
j	CAMPA confirmation	The user agency has paid NPV amount on date 03.04.2023

अतः उक्त समन्वय में अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि

भवदीया,

(रिणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक- 496 / 14-1-2023

प्रतिलिपि-प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, हरदोई को उनके पत्रांक-271/14-1 दिनांक-24.07.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रिणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल उ0प्र0, लखनऊ